RAJYA SABHA

Monday, the 9th December, 1991/18 *Agrahayana,* 1913 *{Saka)*

The House met at eleven of the Clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Ban on the movement of cotton in the country

*241. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state;

(a) whether it is a fact that there is a ban on the movement of cotton from one State to another in the country;

(b) if so, what objective is sought to be achieved thereby; and

(c) whether Government have any information that the imposition of his ban has caused a shortage of cotton in some States?

THE MINISTER OF STATE OF "HE MINISTRY OF TEXTILES SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to c) A statement is laid on the Table f the House.

Statement

(a) and (b) There is no ban as such on the movement of cotton from me State to another in the country. However, the following regulations sxist in certain States: —

(i) In Maharashtra on account of the existence of the Cotton Monopoly Procurement Scheme there is a ban on movement of kapas outside the State. However, there is no restriction on the movement of baled cotton.

(ii) In certain States like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, etc. the consumer has to get a licence from the respective State Governments for movement of cotton bales from other States under the Cotton Transport Act, 923.

(c) Although some reports of difficulties being faced by mills about the existence of the Cotton Transport Act, 1923 have been received, Government is not aware of any shortage ofcotton in any State on this account.

चौधरी हरि सिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, वह स्वयं में कंट्राडिक्टरी है । मेरा सवाल था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कपास ले जाने में क्या कोई पाबंदी है ? तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अपने जवाब में, जो स्टेटमेंट ले किया है, उसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार खरीद योजना प्रचलित होने के कारण राज्य से कपास बहार ले जाने पर पाबंदी है । दूसरे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में कपास को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए कज्यूमरस को भी लाइसेंस लेना होगा । श्रीमन्, यह तो पाबंदी हो गई । मंत्री जी का उत्तर कंट्राडिक्टरी हो गया । इसी संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि किसान, जो कपास उत्पादक थे, इन राज्यों में पाबंदी हो जाने से चोरी-छिपे कपास दूसरे राज्यों में ले जाने लगे और बिचौलियों के वारे न्यारे हो गए । बिचौलियों ने पैसा बहुत कमाया, लेकिन किसानों को पैसा नहीं मिला । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका नतीजा यह हुआ कि कपास के दाम बहुत बढ़ गए, नादर्न इंडिया में कपास के दाम इतने बढ़ गए कि . . .

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लें ।

चौधरी हरि सिंह : उत्तर भारत में कपास की बड़ी कमी रही । मंत्री महोदय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया । उन्होंने कहा कि इस तरह के बर्ताव से कुछ मिलों को दिक्कतें आई हैं । तो मेरा प्रश्न है कि वह क्या दिक्कतें मिलों के सामने आयीं ? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जो एकाधिकार अधिनियम है और जैसा कि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, आदि राज्यों में कंज्यूमरस को लाइसेंस लेने का है, इनके

लिए क्या सरकार इस कानून और अधिनियम को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

श्री अशोक गहलोत : सभापति जी, मेरा उत्तर था कि इसमें सभी राज्यों में इस प्रकार की पाबंदी नहीं है । चूंकि महाराष्ट्र में काटन मोनोपलि प्रोक्योरमेंट स्कीम चल रही है और वह करीब 1971 से लेकर चलती आ रही है इसके अलावा जो स्टेट में वह खाली कॉटन ट्रांसपोर्ट एक्ट, जो 1923 में बना था, उसके अंतगत गवर्न होता है और इसके अंतर्गत सभी राज्यों में रूल्स-रेगुलेशन नहीं बने हैं, कुछ राज्यों ने अपने रूल्स-रेगुलेशन बनाए हैं और वहां उनको परमीशन लेनी पड़ती है । उसके अलावा कहीं परमीशन लेने की स्थिति नहीं है । यहां तक मिलों को क्या समस्यायें आ रही हैं, माननीय सदस्य ने पूछा है, तो उनको कुछ प्रोसीजर समस्यायें हैं और उसके लिए उन्होंने रिप्रजेण्ट किया है । मंत्रालय में इस पर विचार चल रहा है । चूंकि जब यह एक्ट बना था, उस वक्त स्थिति दूसरी थी और उसमें बदलाव आया है, इसलिए हम एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं इसको रिपील करने के लिए ।

चौधरी हरि सिंह : माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र एकाधिकार कानून के मातहत जो परचेजिंग होती है, इसमें कितने किसानों की कपास को महाराष्ट्र के अंदर खरीदा गया और कितने किसानों का माल नहीं लिया गया ? जिन किसानों की कपास नहीं बिकी, उनको बिकवाने का या बाहर भिजवाने का कोई प्रबंध सरकार ने किया था ? अगर किया था, तो वह क्या है ?

श्री अशोक गहलोत : माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र में तो मोनोपली प्रोक्योअरमेंट है, उनका तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उन्होंने अपना खुद का गारंटी प्राइस दे रखा है, वह तो उसको खरीदते ही हैं और उसमें कोई दिक्कत की बात मेरे सामने नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो चीफ एजेंट बना रखा है, महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव कॉटन ग्रोअर्स मार्केटिंग फ़ेडरेशन लिमिटेड, वह खुद ही पूरी कपास खरीदती है । ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि किसानों का कपास वहां नहीं खरीदा गया ।

श्री सभापति : आपकी इत्तिला यह है कि किसानों का सब कपास खरीद लिया जाता है ?

श्री अशोक गहलोत : हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि नहीं खरीदा गया ।

SHEI A. G. -KULKARNI; Sir, I am quite.-aware that the Minister is justified in saying that in Maharashtra the entire cotton is procured by the Marketing Federation. It is not that the farmers cotton is not purchased. What is available; is purchased entirely. In this connection, I want to know.his reaction on two points.

One is about the ad hoc policy on cotton, particularly right from the crop plantation to ginning and export. Is the'Minister aware that knee-jerk actions and ad hoc action and announcements of support has created an anomaly. The prices of cotton yam have risen. We have all discussed, last- time about the handloom weavers, and.all the consumers. So, will the Government take a rational view on -annocucing a policy on cotton export, one?

Secondly, Mr. 'Minister, perhaps you may, not "be - awsare that the Cot ton Transport Act, 1923, baseeds cor ruption. It is of no use; because- evej-j State has its own policy. There is no necessity of having this Transport Act of 1923. It should be serappec because it is creating hurdles, as my friend has rightly stated.

MR. CHAIRMAN: Your question is whether Government will think of scrapping it

SHRI A. G. KULKARNI: Scrapping it. You are quite tight. You are just like a censor today, Sir.

श्री अशोक गहलोत : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं उस पर कह चुका हूं कि वह काटन ट्रांसपोर्ट एक्ट, 1983 जो बना है, उसकी अब कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है बल्कि यह एक प्रकार से इनअफेक्टिव साबित हो रहा है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार । इस लिए हम इसके ऊपर बहुत एक्टिव कंसिडरेशन कर रहे हैं, इसको जल्दी हम हटाने की बात कर रहे हैं । . . .

श्री सभापति : अभी विचार करेंगे, अभी आप कोई वचन मत दीजिए ।

श्री अशोक गहलोत : एक्सपोर्ट पालिसी की जहां तक बात है, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य, हैं, यह शायद इनकी जानकारी में है कि यह पहले से ही सरकार की पालिसी थी, पिछली सरकार की कि हमें कम से कम 5 लाख बेल्स प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट करनी चाहिए जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रेजेंस बनी रहे और हम यहां पर प्राइस को रेग्यूलट कर सकें । इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस बार भी कॉटन का एक्सपोर्ट करने के बाद 5 लाख बैल्स की थी, उसमें से खाली एक लाख के करीब बंगला देशी को हमने फ्री किया, कोई भी उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, बाकी 4 लाख बैल्स को हमने रखा है कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया . . . (व्यवधान) . . . उसमें हमने उनको डिस्पोजल पर रखा है जिससे वह मार्किट को कंट्रोल कर सकें और प्राइस की फलक्च्यूएशन को कंट्रोल कर सके । मैं समझता हूं कि पालिसी हमारी-अभी तक यही है कि कैबिनेट की हमारी जो सब-कमेटी थी, उसके अंतर्गत जो मिनिमम एक्सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट तय की गई उसी को हमने अभी टक अनाउंस किया है, उसके अतिरिक्त कोई एक्सपोर्ट करने की घोषणा हमने नहीं की है ।

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN; Sir, taking into account the evils bred by such a ban and restriction, will the Government give an as surarice, taking into account the new industrial and trade policy also, that it will not come with any restriction or ban on the movement of commodities, especially cotton, from one State to another State.

KUMARI CHANDRIKA PREMJ1 KENIA: In reply to part (c) of the question, the hon. Minister has stated that some reports of difficulties faces by the mills have been received, but the Government is not aware of any shortage of cotton. As per my information the textile industry as a whole is suffering for want of cotton. Mills are running below capacity and many of the labourers have been laid off. All this is creating discontent among the labourers themselves. Prices of most of the cotton varieties have gone up. These prices have gone up to the tune of 70 per cent as compared to the prices of last year. *1* feel it is high time for the Government to announce a national policy for cotton itself because cotton is the basic raw material for the textiles.

MR. CHAIRMAN: Your question is: will the Government announce a policy on cotton?

KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA; My question is whether the hon. Minister would announce on the floor of the House that he will evolve a natiorial policy for cotton. Secondly, starvation deaths of the handloom weavers, particularly in the Prakasm and Guntur districts of Andhra'Pradesh, have been brought to light. I would like to know what steps (fee hon. Minister has taken to ameliorate the pligfit of trie handloom wea vers.

श्री अशोक गहलोत : वह मैं आपको पहले कह चुका हूं । वैसे कोई जनरल रिस्ट्रेक्शन तो है नहीं और जो कॉटन ट्रांसपोर्ट एक्ट की बात मैं कह चुका हूं, उसके हटने के बाद में जो बाकी बचे

हुये स्टेट हैं, वहां पर भी यह समस्या नहीं रहेगी।

श्री मोहम्मद अमीन : सर, पश्चिमी बंगाल, बिहार और आसाम में जो कपास जाता है उसका महसूल दूरी के हिसाब से वसूल किया जाता है, जिसकी वजह से हैंडलूम, पावरलूम और कपड़े की आम पैदावार की लागत बहुत बढ़ जाती है। इसलिये जिस तरह कोयला और लोहे के बारे में फ्रेट इक्वेलाइजेशन की पोलिसी पर गवर्नमेंट चल रही है, उसी तरह से क्या कपास के बारे में भी कोई पोलिसी अख्तियार की जायेगी ?

श्री अशोक गहलोत : सभापति महोदय मैं इस सुझाव को देखूंगा कि इसमें हम लोग हैण्डलूम वीवर्स के इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं।

श्री शंकर दयाल सिंह : यह बहुत बढ़िया सुझाव है।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : सभापति महोदय, कॉटन मॉनोपोली में देश को बहुत बुरी तरह से लूटा जाता रहा है और कहा जाता है कि अब भी कॉटन मोनोपॉली के तौर पर परचेज की जायेगी तो कितनी देर तक यह कॉटन मोनोपॉली परचेज की जाती रहेगी। दूसरे, कॉटन को लूटने का सन् 1923 में देश में जो कानून बना, इसलिये कि मानचेस्टर की चक्कियों में अंग्रेज ने निकाल कर यह हमें वापिस कॉटन बेचनी होती थी कपड़े के रूप में। अब जबकि गोरा अंग्रेज तो चला गया, तो यह काले अंग्रेज का कानून कितनी देर तक चलता रहेगा ?

श्री अशोक गहलोत : सभापति महोदय इसको हम जल्दी ही रिपील करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अजीत जोगी : गोरा न कहें, सांवला तो कहें।

श्री अशोक गहलोत : सभापति महोदय जहां तक कॉटन पोलिसी एनाउंस करने की बात है, कॉटन की पोलिसी यही है कि हमारे देश में जो किसान हैं, उनको पूरा दाम मिले, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रजेंस बनी रहे और हम लोग प्राइस को इस प्रकार से कंट्रोल कर सकें जिससे कि जैसा माननीया सदस्या ने कहा है कि बुनकरों की जो स्थिति है, जिसके बारे में अभी पिछले सप्ताह ही यहां पर कॉलिंग अटेंशन के जरिये भी बहस हुई है उससे सदन वाकिफ है और मैं उस वक्त यह बात कह चुका था कि हम लोग इस बात से चिंतित हैं कि वीवर्स को समय पर उसका पूरा यार्न मिल सके और सस्ता यार्न मिले, उसके लिये हमारे प्रयास जारी हैं।

जहां तक कॉटन के प्राईस की बात है, माननीया सदस्या की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि जो प्राईस अभी है, वह जब हम लोगों ने पांच लाख बेल्स कॉटन एक्सपोर्ट की घोषणा की, उस वक्त करीब 9800 तक पहुंच गयी थी, जबकि पिछले साल अगर हम देखें तो 6650 उस वक्त में थी। तो माननीय सभापति, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब कॉटन किसान के हाथ में था, तब उसके दाम कम थे और जैसे ही दिसम्बर के बाद में किसान के हाथ से गया, उसकी बढ़ते-बढ़ते करीब प्राईस 13800 पर-कैंडी पहुंच गयी। तो यह बात हम ध्यान में रख रहे हैं कि किसान को उसका पूरा दाम मिले, वरना वह अपनी कार्प्स को शिफ्ट कर लेगा, इसलिये वह भी हमारी जानकारी में है। उसको ध्यान में रखते हुये हम कॉटन पोलिसी जो आज है उसी पर हम कायम रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कॉटन के दाम भी न बढ़ें और अगर एक्सपोर्ट करने की जरूरत हो तो एक्सपोर्ट किया जाये। यह हमारे ध्यान में है।